an>

title: The Speaker made a reference on occasion of the Constitution Day, observed on 26 November.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, कल 26 नवंबर है, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

26 नवंबर, 1949 को ही भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नये युग की शुरूआत करते हुए 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ था। संविधान के एडॉप्शन के साथ ही हमारे देश के नागरिकों ने सबके लिए शांति, समता और प्रगति के महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ संवैधानिक, स्वशासी तथा आधुनिक भारत के एक नये युग में प्रवेश किया।

आइए, हम इस अवसर पर संविधान में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के अपने प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प लें।